कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायाल मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय परिसर मऊ में 2 अदद जलपान, 2 अदद पान की दुकान , 2 अदद फलशर्बत, 2 अदद फोटो स्टेट, 1 अदद वाहन स्टैण्ड, 1 अदद स्टेशनरी, 1 अदद चना ठेला, 1 अदद झटपट फोटोग्राफर की दुकान रखने हेतु स्थान की वित्तिय वर्ष 2020-21 अवधि के लिए नीलामी दिनांक 23.03.2020 को 1:00 बजे दिन में सभाकक्ष में होगी। दुकान स्थान हेतु नीलामी निम्नलिखित शर्त के अधीन की जायेगी।

1.नीलामी में बोली बोलने हेतु वे व्यक्ति ही अर्ह होगें जो बोली बोलने के पूर्व निर्धारित सेक्योरिटी जो निम्नवत है, जनपद न्यायालय के नजारत में जमा करेगे।

क्रम सं0	दुकान की नीलामी	जमानत धनराशि	दुकानो की संख्या
1-	वाहन स्टैण्ड	30000.00	01
2-	जलपान	15000.00	02
3-	फलशर्वत	4000.00	02
4-	फोटो स्टेट	15000.00	02
5-	स्टेशनरी	2000.00	01
6-	चना ठेला	1000.00	01
7-	झटपट फोटो ग्राफर	15000.00	01
8-	पान की दुकान	3000.00	02

2. नीलामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए होगी और ठेका यदि पहले किसी कारण से समाप्त नही किया गया तो 31.03.2021 को वित्तीय वर्ष पूरा होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3. जिस व्यक्ति की नीलामी स्वीकार की जायेगी वह निम्नलिखित शर्तो से आबद्ध होगा।

(क) वह ठेके को स्वतः चलायेगा अन्य किसी व्यक्ति को ठेका चलाने की अनुमति नही देगा। वह व्यक्ति अपनी दुकान को किसी अन्य रिश्तेदार सगे सम्बन्धी को स्थानान्तरित नही करेगा। यदि दुकान के स्थानान्तरण की बात संज्ञान में ली गई तो जिला जज महोदय को अधिकार होगा कि उस दुकान का ठीका निरस्त कर दे और जमा धनराशि जब्त कर लेंवे।

(ख) किसी अवांछनीय व्यक्ति को दुकान के स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा एवं दुकान पर प्रदूषण उप्पन्न नही करेगा जिससे खाद्य पदार्थ या उपर्युक्त प्रयोजन हेतु प्रयोग होने वाले सामानों को छोडकर दुकान में किसी अन्य वस्तु को न तो संग्रह करेगा और न बेचेगा और न उन्हें विक्रय हेतु प्रदर्शित करेगा।सामान बाजार मूल्य

या उस मूल्य पर जो जिला जज द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाय, बेचे जायेंगे।

(ग) खाद्य सामग्री शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक एवं अनापत्तिजनक होगी तथा उसकी क्वालिटी ऐसी होगी जैसा जिला जज द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट आदेशित किया जाय।

(घ) कैण्टीन के लिए प्रयोगार्थ स्थान स्वच्छ प्रदूषण रहित सदैव रखना होगा और सभी बचाव के उपाय करने होंगे ताकि खाद्य पदार्थ पर मक्खियाँ धूल व अन्य कोई गन्दगी न पहुँच सके।

(च) दुकान के सम्बन्ध में जिला जज के निर्णयों से आबद्ध होना पड़ेगा और जिला जज का आदेश अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(छ) लाइसेंस लिखित रूप से एक माह की पूर्व सूचना पर भी जिला जज महोदय द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

(ज) विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य सामग्री अस्वास्थकारी एवं आपत्तिजनक पाये जानें पर उसकी बिक्री प्रतिबन्धित की जा सकेगी और उस स्थिति में उस सामान को नष्ट करना होगा और यदि पुनः उस प्रकार का अस्वास्थकारी और आपत्तिजनक खाद्य सामाग्री की बिक्री होती प्रदर्शित की जायेगी या उसकी बिक्री होती पायी जायेगी तो बिना किसी क्षति पूर्ति या पूर्ति या पूर्व सूचना के ठेकेदार का लाइसेंस समाप्त कर दिया जा सकेगा।

(ट) ठेकेदार नगर पालिका के द्वारा लगाये जाने वाले टैक्स, यदि कोई हो, अदायगी का जिम्मेदार होगा।

(ठ) विशेष परिस्थिति में जिला जज महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये ही लाइसेंस समाप्त कर दें।

(ड) जिला जज महोदय को यह भी अधिकार होगा कि वह सबसे ऊंची बोली बोलने वाले की नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

(ढ) जिस ठेकेदार के पास किसी ठेके से सम्बन्धित वर्तमान समय में कोई धनराशि बकाया रहती है या बकाया है, वह ठीके में भाग नही लेकेगा और यदि वह किसी प्रकार ठीका प्राप्त भी कर लेता है तो उसकी ठीका जिला जज महोदय द्वारा इस बात की जानकारी होने पर निरस्त किया जा सकेगा और ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान की नीलामी पुनः की जायेगी।

(त) एक व्यक्ति द्वारा एक ही दुकान की बोली में भाग लिया जा सकता है।

(थ) नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्ति फोटो युक्त पहचान पत्र की फोटो कापी नीलामी कार्यवाही के पूर्व जमा करेंगे।

(द) जो ठेकेदार वर्ष 2019-20 में ठेके की धनराशि पूर्ण रूप से जमा नही किए है वे ठेकेदार वर्ष 2020-21 की नीलामी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे।

(य) ठेके की समस्त धनराशि दिनांक 31.01.2021 तक नजारत में आवश्यक रूप से जमा किया जायेगा। ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

5/1/2

दिनांक

प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जनपद न्यायाधीश सं01
जनपद न्यायालय,मऊ

कार्यालय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय परिसर में स्थित वाहन स्टैण्ड 01 अदद, कैन्टीन 02 अदद, फल शर्बत 02 अदद, चना ठेका 01 अदद, झटपट फोटो (निगेटिव सहित) 01 अदद, फोटो स्टेट 02 अदद, स्टेशनरी 01 अदद, पान की दुकान 02 अदद की नीलामी होनी है उपरोक्त नीलामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 23.03.2020 को समय 1:00 बजे दिन में न्यायालय के सभाकक्ष में होगी। विस्तृत जानकारी एवं शर्तो न्यायालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है व केन्द्रीय नजारत से सम्पर्क किया जा सकता है।

5/3/20

प्रभारी अधिकारी नजारत
जनपद न्यायालय मऊ।